

डिक्री वगुकदमें ईव्त्दाई  
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां सहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया  
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.  
प्रकरण संख्या:- 51/2025

अर्शनूर सिंह पुत्र श्री गुरमेल सिंह जाति जटसिख नि.इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादी

बनाम्

1. गुरमेल सिंह पुत्र श्री कर्मसिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. हरमेल सिंह पुत्र श्री कर्मसिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. नवनीतकौर पत्नी श्री हरमेल सिंह जाति जटसिख नि.इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. अनमोल सिंह पुत्र श्री हरमेल सिंह जाति जटसिख नि.इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. नवरिशम कौर पुत्री श्री हरमेल सिंह जाति जटसिख नि.इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. रिपनप्रीत कौर पुत्री श्री गुरमेल सिंह जाति जटसिख नि.इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)



प्रतिवादीगण

हमारे बहजरी श्री महावीर बेरड़ वकील वादी मिन जाकिन मुदई श्री कुलंदीप मूण्ड वकील प्रतिवादी संख्या 1 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि तहसीलदार राजस्व संगरिया को निर्देश दिये जाते हैं कि नियमानुसार 1000/- रूपये की स्टाम्प ड्यूटी राजकोष में जमाकरवाकर चक 5 आईडीजी के खाता संख्या 148/17 जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 में वादी के पिता एव चाचा प्रतिवादी वादी संख्या 1 प 2 के नाम से 10.296 है. कृषि भूमि में से वादी को 1.038 है. कृषि भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को 2.681 है. कृषि भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को 2.783 है. कृषि भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को 1.771 है. कृषि भूमि का एवं प्रतिवादी संख्या 4 को 2.023 है. कृषि भूमि का खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का हिस्सा कम करने तथा इसी चक 5 आईडीजी के खाता संख्या 19/48 जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 में वादी के पिता एवं चाचा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम से 1.265 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता निम्नानुसार अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं:-

(क) वादी अर्शनूर सिंह पुत्र श्री गुरमेल सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
133/121	11	15/0.013 है., 16/0.253 है., 25/1/0.076 है.
133/122	16	15/0.253 है.
134/122	17	11/0.253 है.
135/121	9	11/0.190 है.
कुल 1.038 है. कृषि भूमि		

चक 5 आई.डी.जी. खाता सं. 19/48 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
134/122	17	17,18,19,22,23/0.253 है.प्र.
कुल 1.265 है. कृषि भूमि		

महायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया



(ख) प्रतिवादी सं. 1 गुरमेल सिंह पुत्र श्री कर्म सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 5 आई.डी.जी. खाता सं. 148/17 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75

प.नं. मु.नं. कि.नं.

134/121 10 11/0.076 है., 12/0.101 है., 13/0.126 है.,  
14/0.164 है., 15/0.190 है., 17ता24/0.253 है.प्र.  
कुल 2.681 है. कृषि भूमि

(ग) प्रतिवादी सं. 2 हरमेल सिंह पुत्र श्री कर्म सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 5 आई.डी.जी. खाता सं. 148/17 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75

प.नं. मु.नं. कि.नं.

132/122 15 6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है., 7ता9/0.253 है.प्र.  
133/122 16 1/1/0.228 है., 1/2/0.025 है., 2/1/0.228 है.,  
2/2/0.025 है., 3/1/0.228 है., 3/2/0.025 है.,  
4/1/0.228 है., 4/2/0.025 है., 5/1/0.228 है.,  
5/2/0.025 है., 6,7/0.253 है.प्र.  
कुल 2.783 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(घ) प्रतिवादी सं. 3 नवनीत कौर पत्नी श्री हरमेल सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 5 आई.डी.जी. खाता सं. 148/17 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75

प.नं. मु.नं. कि.नं.

133/122 16 18ता24/0.253 है.प्र.  
कुल 1.771 है. कृषि भूमि

(ङ) प्रतिवादी सं. 4 अनमोल सिंह पुत्र श्री हरमेल सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 5 आई.डी.जी. खाता सं. 148/17 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75

प.नं. मु.नं. कि.नं.

133/122 16 8,9,10/0.253 है.प्र., 11/0.252 है.,  
12,13,14,17/0.253 है.  
कुल 2.023 है. कृषि भूमि

नोट :- यदि प्रश्नगत भूमि बैंक रहन हो तो रहन मुक्त होने के पश्चात् ही अमल दरामद किया जावे।

निज  नल  मुल्लिक  निल  बाबत  निल  खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह

फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....अदा करें।

वसव्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 3.3.2025 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)

महायका कलबसद राणा  
उपसमल भाषि जरी संगरिया  
संगरिया